संख्या-115/2017/आर-2010/26-3-2017-10(7)/2012

प्रेषक,

कामता प्रसाद

अनुसचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

जनजाति विकास,

उ0,प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊःदिनांकः 26 जुलाई 2017

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखानुदान के माध्यम से लेखाशीर्षक-2225-02-796-18-20-सहायताअनुदान-सामान्य(गैरवेतन)" में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के विवाह हेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निर्गत समाज कल्याण अनुभाग-3, उ0प्र0शासन के शासनादेश संख्या-72/2017/आर-992/26-3-2017-10(7)/2012, दिनांक-11.05.2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-'2225-02-796-18-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)' में लेखानुदान के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 05 माह हेतु रूपया-54.10 लाख (रूपया चौवन लाख दस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृत निर्गत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि वित्त विभाग, उ0प्र0शासन द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के नियमित बजट को जो अन्तिम रूप दिया गया है उसमें उक्त लेखाशीर्षक में धनराशि का प्राविधान 'शून्य' कर दिया गया है।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुये यह सुनिश्चित करायें कि उक्त योजनान्तर्गत पूर्व में निर्गत धनराशि का मुख्यालय/जनपदों से आहरण कर व्यय न किया जाय। यदि धनराशि जनपदो को आवंटित कर दी गयी हो तो उसे तत्काल मुख्यालय को वापस करा लिया जाय।

भवदीय,

कामता प्रसाद

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-115/2017/आर-2010(1)/26-3-2017-तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त(आय व्ययक) अनुभाग-1/2

4-राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2

5-समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)

6-गार्डफाइल

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।